प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम संख्यांक 16)

[28 मार्च, 2002]

प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 21 सितंबर, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1961 का 59 2. प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में, ''कानपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, मद्रास'' शब्दों के स्थान पर, ''कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुड़की'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,— धारा 3 का संशोधन।

(क) खंड (ग) में,—

(i) उपखंड (ii) के अंत में आने वाले ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) उपखंड (iii) में, अंत में आने वाले, ''इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, मद्रास'' शब्दों के पश्चात् ''और'' शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा; और

(iii) उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(iv) रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की के संबंध में, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुड़की;'';

(ख) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1948 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 9 '(ठ) ''रुड़की विश्वविद्यालय'' से रुड़की विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 के अधीन स्थापित रुड़की विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।'।

धारा 4 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1ग) रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की को, ऐसे निगमन पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, रुड़की कहा जाएगा।"।

नई धारा 5क का अन्त:स्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुड़की के निगमन का प्रभाव।

"5क. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से ही,—

(क) (इस अधिनियम से भिन्न) किसी विधि में या किसी संविदा या किसी अन्य लिखत में रुड़की विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुड़की के प्रति निर्देश है;

(ख) रुड़की विश्वविद्यालय की या उसके स्वामित्व में की सभी संपत्ति, चाहे स्थावर हो या जंगम, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुड़की में निहित होंगी;

(ग) रुड़की विश्वविद्यालय के सभी अधिकार और दायित्व, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुड़की को अंतरित हो जाएंगे और वे उसके अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना पद या सेवा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुड़की में उसी सेवाधृति पर, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं शर्तों और निबंधनों पर और पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य-निधि और अन्य मामलों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों पर धारण करेगा जैसा कि वह उस दशा में धारण करता जिसमें यह अधिनियम पारित नहीं किया गया होता और तब तक इसी प्रकार धारण करता रहेगा जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसकी ऐसी सेवाधृति, पारिश्रमिक और निबंधन तथा शर्तें परिनियमों द्वारा सम्यक्त:, परिवर्तित नहीं कर दी जाती:

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुड़की द्वारा कर्मचारी से की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार समाप्त किया जा सकता है या, यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो, स्थायी कर्मचारियों के संबंध में तीन मास के पारिश्रमिक के बराबर और अन्य कर्मचारियों के संबंध में एक मास के पारिश्रमिक के बराबर प्रतिकर देकर इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुड़की द्वारा समाप्त किया जा सकता है:

परन्तु यह और कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखत में या अन्य दस्तावेज में रुड़की विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति के प्रति किसी निर्देश का, चाहे वे किन्हीं शब्दरूपों में हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, रुड़की के क्रमश: निदेशक और उप निदेशक के प्रति निर्देश हैं; और

(ङ) प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ पर, रुड़की विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 के उपबंधों के अधीन नियुक्त रुड़की विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिनियम के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और वह तीन मास की अवधि तक या निदेशक नियुक्त किए जाने तक, जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करेगा। 1948 का उत्तर प्रदेश अधिनियम

स्पष्टीकरण—इस धारा में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, रुड़की के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस तारीख के प्रति निर्देश है जिसको प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 38 में,— धारा 38 का संशोधन।

(क) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ङ) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले रुड़की विश्वविद्यालय की सिंडिकेट के रूप में कार्य करने वाली सिंडिकेट उसी रूप में तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, रुड़की के लिए कोई नया बोर्ड गठित नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड के गठन पर सिंडिकेट के ऐसे सदस्य, जो ऐसे गठन के पहले पद धारण कर रहे हों, पद धारण नहीं करेंगे;

(च) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले रुड़की विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के रूप में कार्य करने वाली विद्या परिषद् उसी रूप में तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, रुड़की के लिए कोई नया सीनेट गठित नहीं कर दिया जाता है, किंतु इस अधिनियम के अधीन नए सीनेट के गठन पर विद्या परिषद् के ऐसे सदस्य, जो ऐसे गठन के पहले पद धारण कर रहे हों, पद धारण नहीं करेंगे;

(छ) जब तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, रुड़की के संबंध में प्रथम परिनियम और अध्यादेश इस अधिनियम के अधीन नहीं बनाए जाते हैं तब तक प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ के ठीक पहले प्रवृत्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, मुंबई के परिनियम और अध्यादेश, आवश्यक उपांतरों और अनुकूलनों सहित, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी, रुड़की को वहां तक लागू होंगे जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं;

(ज) प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002 में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे छात्र के बारे में, जिसने शैक्षणिक सत्र 1994-95 के प्रारंभ को या उसके पश्चात् रुड़की विश्वविद्यालय की कक्षाओं में जाना प्रारंभ कर दिया है, धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि उसने इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुड़की में किसी पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किया है, परंतु यह तब जबकि ऐसे छात्र को पहले से ही ऐसे ही पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन के लिए कोई डिग्री या डिप्लोमा प्रदान नहीं किया गया हो;

(झ) यदि प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002 के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हों :

परंतु इस खंड के अधीन कोई आदेश प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि इस खंड के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।";

का उत्तर
अधिनियम 9

(ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण 2**—इस धारा के खंड (ङ) और खंड (च) में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, रुड़की के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा

कि वह उस तारीख के प्रति निर्देश है, जिसको प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2002 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं।''।

निरसन अं व्यावृत्ति। रुड़की विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 1948 का उत्त प्रदेश अधिनियम

ारण खंड अधिनियम, 1897 के उपबंध उक्त अधिनियम के निरसन को इस प्रकार लागू होंगे थम केन्द्रीय अधिनियम हो। 1897 का 10

की संस्थान (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2001 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2001 का अध्यादेश 10

ान के होते हुए भी, निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस ोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

अनुभा

1967